

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या 14-एच०एल०ए०

हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023

हरियाणा किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1918

को निरसित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. यह अधिनियम हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन अधिनियम, 2023; कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1918, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। 1918 के पंजाब अधिनियम 7 का निरसन।

3. इस अधिनियम द्वारा निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें व्यावृत्ति। निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित या निर्दिष्ट की गई हैं ;

और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों, या पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की अथवा से किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा ;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रुढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि यह क्रमशः इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, में या से किसी भी रीति में अभिपुष्ट किया गया हो या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुआ हो ;

न ही इस अधिनियम का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रुढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनरुजीवित या प्रत्यावर्तित करेगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं है।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि, हरियाणा किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम संख्या 7) के प्रावधान सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति के विनियमन और वितरण) अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 34), जो कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हैं, के अधीन आते हैं। इसलिए, हरियाणा किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1918 को अब राज्य में लागू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
(1918 का पंजाब अधिनियम संख्या 7)

इसलिए, उपरोक्त केन्द्रीय अधिनियम, 2003 के मध्यनजर, हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023, जो कि हरियाणा किशोर धूम्रपान अधिनियम, 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम संख्या 7) को निरसित करने से सम्बन्धित है, को इस विधेयक द्वारा निरसित किया जाता है। इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।

अनिल विज,
गृह मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 24 अगस्त, 2023.

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 24 अगस्त, 2023 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।